THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1986 (INSERTION OF NEW ARTICLE 333-A) - Contd.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री एन० राजंगम द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक स्थानीय निकायों में आरक्षण का सम्बन्ध है हमारे उत्तर प्रदेश में तो है और पंचायतों में भी है, सब जगह है लेकिन अगर कहीं नहीं है देश में तो निश्चित रूप से इनके लिए आरक्षण होना चाहिये। जहां कहीं भी नहीं है, होना चाहिये। मान्यवर, आरक्षण के बारे में तरह-तरह की बातें की जाती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर समानता लाने के लिए व्यवस्था की है। आर्थिक समानता के लिए उन लोगों ने गरीबी उन्मूलन और योजनाओं का प्रावधान किया है। योजनाओं के द्वारा इस देश से गरीबी मिटा दी जाए, सामाजिक समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अगर किसी कारण से सरकार की विफलता से अकर्मण्यता या बदनीयती से चाहे जैसे भी आर्थिक समानता नहीं हुई तो इसका यह मतलब नहीं है कि सामाजिक समानता के लिए काम न किया जाए और उसको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जाए। जहां तक सामाजिक समानता का प्रश्न है आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और राज्य में हिस्सेदारी के लिए बहुत से लोग इसको नौकरियों से जोड़ते हैं। मान्यवर, यह नौकरियों का ही प्रश्न नहीं है कोई भी सरकार हो कल हमारी ही सरकार बन जाए तो हम सब को नौकरियां नहीं दे सकते हैं। इसलिए नौकरी के साथ आरक्षण का प्रश्न जोड़ना बिल्कुल बेमतलब है क्योंकि सब को नौकरी नहीं दे सकते लेकिन न्याय का प्रश्न है हक का प्रश्न है राज में हिस्सेदारी का प्रश्न है। मान्यवर, दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है माफिया और नेक्सेलाइट। इनका सम्बन्ध आरक्षण से है। आज स्थिति क्या है? राज्य प्रशासन एकदम एकतरफा है। एक तरफ पलड़ा झुक गया है। खेती, नौकरी और व्यापार यह तीनों सुविधाएं एक ही वर्ग के हाथ में हैं। नौकरियां तो अधिकांश सुविधा प्राप्त वर्ग के हाथ में हैं। आज शासन इतना एकांगी हो गया है। माफ़िया गिरोह किस को कहते हैं, यह कैसे पैदा होते हैं, यह हमारे शासन का ढांचा पैदा करता है और उसका एक कारण यह है कि वह एकांगी है केवल कुछ के हाथों में पूरा प्रशासन सिमटा हुआ है। माफ़िया वह है जो खुद तो हो लोकदल में, बाप हो कांग्रेस में, बड़ा भाई हो सी०पी०एम० में, छोटा भाई हो सी०पी०आई० में, बहनोई बी०जे०पी० में हो यानी हर पार्टी में कोई न कोई हो उसका रिश्तेदार हो साथ ही प्रशासन में भी हर स्तर पर उसका कोई न कोई रिश्तेदार या बिरादरी का ऐसा बैठा रहो न्यायपालिका में भी बैठा हुआ हो। होता यह है कि जब कोई पीड़ित आदमी थाने में रपट लिखाने के लिए अत्याचारी के मुकाबले में जो ऊंची जाति का है अगर अत्याचारी की बिरादरी का थानेदार है ऊंची जाति का है तो मार कर भगा देगा आप चाहे जो भी यहां से करें लेकिन रपट नहीं लिखेगा। यहां दिल्ली में कोई आर०पी० गुप्ता हैं उस बेचारे का 22 कमरे का मकान है उस में वह इतने सालों से रहता था और उस का परिवार रहता था दो लाख रुपये रिश्वत ले कर दक्षिण दिल्ली के डी०सी०पी० ने उस बेचारों को वहा से बेदखल करवा दिया और उसी पर ट्रेसपासिंग का चार्ज लगा कर मुकदमा करवा दिया।

आज जो दर-दर घूम रहा है, ठोकर खा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसकी बिरादरी का कोई थानेदार नहीं है, एस० पी० नहीं है और कोई नहीं है, नेता भी उसको मदद नहीं करता इसलिए कि वह 420 टाइप का नहीं है। तो माफ़िया गिरोह जब अपराध करता है, उसी की बिरादरी का अफसर या बड़ी जाति का रिपोर्ट लिखाने वाले को थाने में से भगा देता है रिपोर्ट नहीं लिखता है। हम लोग जो वोट से

चुनकर आने वाले हैं अब जो जबर्दस्ती बूथ कैप्चर से जिता देता है तो उसके खिलाफ कुछ भी किया करें, हम नहीं जाते हैं। अगर किसी ने रिपोर्ट लिखा भी ली तो मान्यवर हमारी अदालतें भी ऐसी हो गयी हैं कि मुंह देखकर फैसला करती हैं। वास्तव में तो अदालतें पहले भी कमिटेड थीं आज भी कमिटेड हैं। जैसे नागरिक स्वातंत्र्य के मामले में फैसला नागरिक स्वतंत्रता के हक में होता है लेकिन सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति के हक में होता है सम्पत्ति के खिलाफ फैसला नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि सारे सम्पत्ति वाले लोग ही जुडीशियरी में भी हैं। तो कमिटेड तो थीं पहले भी लेकिन अब ज्यादा कमिटेड हो गयी हैं कई तरह से। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि वह आदमी जो अपराध करें, थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट न लिखी जाये, नेता उसके खिलाफ बात न सुने, चाहे मंत्री हो या नेता किसी भी दल के हों और अगर खुदा न खास्ता रिपोर्ट लिख ली जाये और अदालत में मुकदमा चल जाये तो अदालतें छोड़ दें, दिनदहाड़े अपराध करे, गवाही न मिले वह छूट जाये और मूंछ ऐंठकर घूमे तथा डर के मारे कोई न बोले वह है माफिया गिरोह। जो इन माफिया के लोगों या गुंडों से पीड़ित हैं, थाने में जाते हैं तो मारकर भगा दिये जाते हैं। नेता उसकी बात नहीं सुनते हैं और अदालतें भी अधिकांश में उनको छोड़ देती हैं जब कभी अगर मुकदमा चल भी जाये तो। नतीजा यह होता है कि चारों ओर से न्याय के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। चारों ओर से उसके लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं तब फिर वह क्या करे। अगर उसमें थोड़ी जान है तो फिर खुद ही न्याय के लिए निकलता है और तब कट्टा उठाता है और फिर बदला लेने के लिए निकल जाता है कि फिर वह नक्सलाइट हो जाता है। जैसे बागपत में हुआ था कि थानेदार का केवल ट्रांसफर करने के लिए हमारे नेता ने कहा था। ट्रांसफर करके जांच करवा लीजिए। नहीं कराई आपने। कोई बागी निकल गया और उस थानेदार को जो अलीगढ़ से बागपत जा रहा था मोटर साइकिल से जा रहा था उसी पर किसी ने उसको खुदा मियां के यहां ट्रांसफर कर दिया। तो यह स्थिति किसने पैदा की ? यह आपके शासन को एकांगी ढांचा पैदा करता है। यह ढांचा इस कदर खराब है कि कहीं न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं हो पाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कि जिस जाति का अपराधी है उसी जाति का थानेदार; उसी जाति का सर्किल इंस्पेक्टर उसी जाति का एस० पी० उसी जाति का डी० आई० जी० उसी जाति का अ जी० उसी जाति का पुलिस मिनिस्टर कहां जाये वह न्याय के लिए। लेकिन अगर आरक्षण करके मान्यवर इन जगहों पर दूसरे लोगों को भी बैठा दें तो फिर अगर थानेदार उसी बिरादरी का होगा तो डिप्टी एस० पी० दूसरी बिरादरी का होगा, एस० पी० तीसरी बिरादरी का होगा। आई० जी० दूसरी बिरादरी का होगा, पुलिस मिनिस्टर दूसरी बिरादरी का होगा तो कहीं न कहीं उसको न्याय मिल जायेगा। यह आरक्षण एक तो राज्य में हिस्सेदारी का हो अगर लोकतंत्र है। केवल 3.35 करोड़ परिवार अब वे बढ़ करके साढ़े तीन करोड़ परिवार हो गये होंगे जो लगभग इस देश की एक चौथाई आबादी है, आज इसी के साथ में सारी ताकत है। बाकी लोगों के हाथ में कोई ताकत नहीं है।

हरिजनों का आरक्षण नौकरियों में आपने किया है पर 40 वर्षों में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 5 दशमलव कुछ परसेंट अभी हुए हैं। 6 प्रतिशत भी नहीं है। कितने दिनों में देंगे ? क्यों नहीं मिलता ? इसलिए नहीं मिलता कि मन नहीं हैं। अगर इच्छाशक्ति होती, तो कोई कारण नहीं है कि उनकी जगह पूरी न होती। लोग अयोग्यता की बात करते हैं शासन में। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में बिना पास किये, कोई भी आदमी क्वालिफाई नहीं करता जब तक मिनिमम क्वालिफाइंग की परीक्षा पास नहीं करे, कम्पीटीशन की

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

परीक्षा पास नहीं करे और छांटे जाते हैं नम्बरों से। मान्यवर, अगर नम्बर की बात कहें, तो नम्बर कैसे मिल रहे हैं, और फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन कैसे आ रही है, यह न आपसे छिपी है, न हमसे छिपी है बात। तो मां-बाप परचे लिखते हैं और बेटा जी पास होते है और सौ में अगर एकाध मेरीटोरियस है, तो वह भी बेचारे बदनाम है उसी में, पता नहीं चालता।

तो अब उसकी भी बात करना बेमतलब है। तो बिना इच्छाशक्ति के आरक्षण पूरा नहीं होगा और जब तक आरक्षण पूरा नहीं होगा, मान्यवर, तब तक यह अव्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को मिल ही नहीं सकता जो आज ढांचा है उसका।

मान्यवर, हमारे समाज में कितनी बुराईयां हैं, इसका कोई लेखा-जोखा है नहीं, किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इसका कोई लेखा-जोखा हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं क्योंकि यह रपटें-वपटें या आंकड़े वांकड़े तो सब किस तरह बनते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अब दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हमको तो उसे मानना ही होगा। लेकिन क्या सौ वर्ष पहले कहीं किसी थाने में किसी हरिजन पर अत्याचार की रपट होगी? नहीं होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो हरिजन ही नहीं समझता था कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे। वह यह समझता था कि हम इसीलिए पैदा ही हुए हैं, भगवान ने हमको पैदा किया है इसीलिए कि हम इनकी लात, मुंह की खायें यह जो चाहे हमारे साथ व्यवहार करें और हम उनके पैर-पकड़ कर चूमते रहें।

दूसरा कि उसको एकदम यह अहसास नहीं था। यह आजादी के बाद शिक्षा बढ़ने के बाद यह थोड़ा-थोड़ा अहसास होने लगा है कि यह हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जब अत्याचार हो रहा है, तो वह अत्याचार का मुकाबला करने के लिए भी खड़ा हो रहा है। तो अब एकतरफा नहीं हो रहा है। अगर कभी-कभी हरिजन भी जवाब दे देता है, कमजोर वर्ग भी जवाब दे देते है, तो घटनाएं बढ़ेगी। दूसरे लोग उससे घबरा रहे होंगे, घबराते भी हैं, कहते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, लेकिन मेरे जैसा आदमी थोड़ा प्रसन्न भी हो जाता है और वह इसलिए की अब कमजोर वर्ग भी उठ रहा है, जग रहा है और कहीं-कहीं बदला लेने की कोशिश कर रहा है, मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है और अगर यह मुकाबला करने की शक्ति थोड़ी आप दे दें, तो इस देश से अत्याचार और अनाचार बंद हो सकता है, लेकिन यह कानून से नहीं होगा नीति बनाने से भी नहीं होगा, जब तक कि आपकी नीयत ठीक नहीं होगी।

अब हथियारों के बारे में प्रधान मंत्री जी से कहा था, आप भी उस समय थे, मान्यवर, शायद प्रधान मंत्री जी बता कर चले गये कि हम यहां से लाइसेंस नहीं देते है। मान्यवर मैंने लाइसेंस देने के लिए आपको कब कहा है? आपको कहा कि कानून बनाते हैं आप कानून बना दीजिए, यह केन्द्रीय कानून है। आप ही इसको बदल सकते हैं कि जितना देहात में हथियार बन सके, सब फ्री कर दिया जाए, जो बनाता है, उसको लाइसेंस दे दीजिए और जिसको वह देता है, उसको वह दो-चार रुपये में लाईसेंस दे दीजिए और तब देख लीजिए कि कितना मजा आता है, कौन जाता है हरिजन बस्ती फूंकने? कौन जाता है कंसारा और अरवल में लोगों की सामूहिक हत्या करने? तब मजा आ जाएगा। तब डकैती भी नहीं होगी, गुंडई भी नहीं होगी क्योंकि आज तो यह गुंडा, डकैत या आतंकवादी या जो भी है, वह जानते हैं कि किसी के पास हथियार नहीं है, केवल मेरे पास है, जहां चाहूं, जब चाहूं, जिसको चाहूं, मार सकता हूं। लेकिन यह नीयत का प्रश्न है, क्योंकि आप हथियार देते हैं, पता कर लीजिए। आपके पास रिकार्ड भी होगा कि सारे जबर्दस्त लोगों को ही हथियार मिलते हैं और 90 परसेंट को गुंडों को मिलते है। आपकी पुलिस भी उन्हीं के साथ, आपका दिया हुआ हथियार भी उन्हीं के साथ, प्रशासन भी उन्हीं के

के साथ और सत्ता भी उन्हीं के साथ और दूसरी तरफ सब्जी काटने की छुरी भी नहीं। एक तरफ आप उनको मार खाने के लिए छोड़ते हैं और दूसरी तरफ इनको मारने के लिए, तो यह कैसे चलेगा? आपकी नीयत साफ नहीं है। ठीक है पंजाब में बहुत गलत काम हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है और जितना ही सख्ती से काम लिया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं क्या अर्ज कर सकता हूं कि क्या बिहार में कम हत्याएं हो रही हैं? बिहार में 50–50 तक हत्याएं हुई हैं। समूचे बिहार में रोज हत्याएं हो रही हैं। अरवल का तो हिसाब ही नहीं 22 का तो सरकार ने बताया। देवली में 24 मारे गए थे, साढूपुर में 10 मारे गए थे और कफलता में 15 मारे गए थे। मान्यवर, चूंकि पंजाब में धनी लोग मारे जा रहे हैं बड़े लोग मारे जा रहे हैं ज्यादातर और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है सलिए गरीब भी मारे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर धनी और बड़े लोग ही मारे जा रहे हैं। इसलिए सारे अखबार उन्हीं की खबरों से रंगे रहते है। लेकिन बिहार में मरने वाले गरीब हैं, हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और अल्पसंख्यक हैं। वे बहुत गरीब लोग हैं, छोटे-छोटे लोग हैं इसीलिए उनके ऊपर कोई हो-हल्ला नहीं मचता क्योंकि इनको बड़े लोग मारते है और अखबार बड़े लोगों की ही बात करते हैं। लेकिन जो कीड़ेमकौड़ों की तरह समझे जाते हैं हरिजन लोग उनके मरने से क्या होता है? उनकी कोई बात नहीं करता है। यह स्थिति है। तो तब तक आप आरक्षण नहीं करेंगे और उन जगहों पर लोगों को नहीं बिठायेंगे। जो कि सत्ता से वंचित है, जब तक सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तब तक कानून का उनके मुताबिक अर्थ नहीं होगा। मान्यवर, कानून का कोई अर्थ नहीं होता, कानून निर्जीव है। जो कानून को लागू करता है कानून उसके मन के मुताबिक अर्थ देता है। आप वहां बैठे हैं इसलिए आपके मन के मुताबिक अर्थ दे रहा है। मैं वहां आ जाऊंगा तो मेरे मन के मुताबिक होगा। वहां आईपीसी की धाराएं हैं। जब इंदिरा जी गद्दी पर थीं तो हम लोग रोज जेल जाते थे। हम लोग आ गए तो इंदिरा जी भी जेल चली गई। फिर आप लोग वहां आ गए तो हमको जेल भेज रहे हैं। (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। कोई जेल नहीं जा रहा है। आपने जो इंदिरा जी के साथ किया उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा: आपातकाल में हम रहे हैं 19–19 महीने हम रहे है। लेकिन आज भी नेशनल सैक्योरिटी एक्ट में बहुत लोग बंद हैं। ऐसा थोड़ेक ही है कि नहीं बंद हैं। तो मान्यवर जो कानून को लागू करता है उसके मन के मुताबिक कानून अर्थ देता है। अगर एक ही तरह का मुकदमा है और एक ही तरह का अपराध अगर दो अलग-अलग व्यक्ति एक ब्राह्मण और एक हरिजन करता हैं तो वहां पर यदि ब्राह्मण थानेदार है तो वह ब्राहमण छूट जाएगा और हरिजन उसी अपराध में फंस जाएगा। क्योंकि थाने दार के मन में यह बसा हुआ है कि हरिजन ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर हरिजन भी ऐसे बोलेगा और हरिजन भी मुकाबला करेगा तो वहां उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि जरा कानून का अर्थ उन गरीबों के पक्ष में भी लगे। जिस थानेदार के मन में, जिस जज के मन में और जिस अधिकारी के मन में यह बैठा हुआ है कि हरिजन भी हमको आंख दिखायेगा और यह भी हमारी बराबरी कर सकता है तो मान्यवर वह क्या न्याय करेगा यह आप सोच सकते हैं? इसलिए अगर कानून का अर्थ गरीबों के पक्ष में लगाना है, तो फिर गरीबों का आरक्षण देकर हरिजनों और पिछड़ों को कुर्सियों पर बैठाना होगा और तभी कानून उनके मन के मुताबिक अर्थ देगा वरना आप रोज चिल्लाया कीजिए, जितने मन करे कानून बनाइये जो मन करे सो करिये और आप कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्यता आ जाएगी। मैं पूछता हूं यह अयोग्यता कहा है भाई? आप सर्वे कराइये कमीशन बैठा लीजिए और देखिए कि जो लोग आरक्षण

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

से आये हैं वह ज्यादा योग्य है या जो बिना आरक्षण के आये हैं वह ज्यादा योग्य हैं? किसने ज्यादा अपराध किए हैं, किसने ज्यादा घूस ली है, किसने ज्यादा गड़बड़ी की है? अब तो मान्यवर, आई०एस०एस० के पर्चे में भी पर्चे बदले जा रहे है। पी०सी० एस० में डिप्टी कलेक्टर 50 हजार रुपए में और डी०एस०पी० वगैरह 60 हजार रु० में बिहार में बनाए गए है। क्या-क्या हो रहा है? उसके बाद भी आप पता नहीं किस-किस तरह के तर्क देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप न्याय कीजिए।

मान्यवर, न्याय के लिए न्याय और हर राज्य में और सामाजिक न्याय देने के लिये ही यह आरक्षण की व्यवस्था हमारे नेताओं ने की थी। आज प्रधान मंत्री जी ने कह दिया गुजरात के आन्दोलन के बाद कि राष्ट्रीय आम सहमति ली जाएगी। मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बिना आम सहमति के आरक्षण का प्रावधान हुआ था संविधान में? हां, एक बात जरूर थी कि जब उस समय हुआ था तो आजादी की लड़ाई से तपे-तपाये नेता गद्दियों पर थे और असेम्बली-पार्लियामेंट में थे। उनको अपनी हैसियत से ज्यादा देश की हैसियत प्यारी थी। उन्होंने पहले देश के बारे में सोचा और आजादी मिलने के बाद अपने बारे में सोचा। आजादी मिलने से पहले इन लोगों ने यही यही सोचा था कि जेल मिलेगी लाठी मिलेगी, गोली मिलेगी, फांसी मिलेगी, संपत्ति कुर्क हो जायेगी और यह सारा मानकर लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब वे लोग गद्दियों पर आ गये तो सन 1950 तक... (**समय की घंटी**) थोड़ा सा और मान्यवर।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): बहुत हो गया।

श्री राम नरेश कुशवाहा: तो सन् 1950 तक अभी उसकी लौ बुझी नहीं थी और उसने आम सहमति से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया और हरिजनों का तो किया ही संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन मान्यवर, अब आम सहमति की बात उठाना कहां तक न्यायसंगत है, जब इतना जातिवाद चल रहा है? बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? आपने हमको तो सदियों से पढ़ने ही नहीं दिया। शिक्षा पर एकाधिकार आपका था, बड़े लोगों का। अब थोड़ा बहुत पढ़ने लगे हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके पास कोई काम धंधे नहीं है, कुछ नौकरी में चले गए जरूर और कुछ व्यापार भी करते हैं, नहीं तो कट्टा लेकर घूमते हैं और जो दिन भर सोयेगा वह क्या करेगा—या तो बच्चे पैदा करेगा या फिर डकैती डालेगा। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस पर आप गौर करें कि इन लोगों से कैसे पिंड छूटेगा। इन लोगों से पिंड छुड़ाने के लिए एक बात यह है कि आम सहमति की बात मत उठाए। आम सहमति में तो आप के वकील आएंगे, डाक्टर आएंगे, मास्टर जाएंगे और ये सब एक वर्ग के हैं, जिनको आरक्षण होने से नुकसान है। इस देश में 67 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 67 प्रतिशत या 57 प्रतिशत जो भी हैं, इनसे राय कब ली जाएगी। इनसे आप कोई राय नहीं लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो यही पढ़े लिखे लोग बैठ के चंगू-मंगू आपस में कह देंगे कि तुम हमको कहो—हां जी और हम तुमको कहेंगे—हां जी, लेकिन हैं दोनों पाजी। जब ये लोग अपनी राय देंगे तो कह देंगे कि आरक्षण एकदम खराब है, अयोग्यता आ जायेगी। तो मैं पूछता हूं अयोग्यता कहां है? इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसलिए मैं कहूंगा इस देश में एक ही रोग है, जो सारे देश में फूट रहा है—चाहे वह आसाम का आंदोलन हो, चाहे पंजाब का चाहे बिहार का नक्सलाइट हो, चाहे आंध्र प्रदेश का नक्सलाइट हो, चाहे जंगल पार्टी हो, चाहे चंबल के डकैत हों। अगर आप इसकी गहराई में जायेंगे तो आपको एक ही रोग और एक दवा मिलेगी कि जो लोग गद्दी से बाहर है, उनको आरक्षण देकर बैठाइये ताकि उनके मन के मुताबिक अर्थ लगे और जब अर्थ लगने लगेगा तो

3 P.M. यह हिंसात्मक गतिविधियां और अलगाव वादी प्रवृत्तियां बंद हो जाएंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अल-

गाववादी प्रवृत्तियां है वह इसी करण से हैं। आज आपका राज्य केवल दो खम्भों पर खड़ा है राज्य और केन्द्र अगर चार खम्भों पर खड़ा कर दे, एक इकाई गांव को बना दें और एक इकाई जिले को बना दें। गांव के लिए जो कानून बना है वह ग्राम सभा बनाए और जो राजस्व गांव का हो वह गांव को दे दीजिए। इसी तरह से जिले लिए। स्टेट से बाहर का जब सवाल आए तो आप कानून बनाएं। आप चार खम्भों का राज्य बना दीजिए तो अलगाव की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। मैं रामकृष्ण हेंगड़े को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने चार खम्भों का राज्य टिकाने की व्यवस्था की है, लेकिन संविधान में क्या व्यवस्था होगी यह वह जाने...

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे मत चिपटाओ हेंगड़े से।

श्री राम नरेश कुशवाहा : जब तक आप ग्राम सभा और स्वायत्त शासन संस्थाओं को पूरी स्वायत्तता संविधान में नहीं देंगे तब तक केवल अकेले राज्य के बस का नहीं है। इसलिए आपको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और अगर देश के रोग का समाधान चाहते हैं तो आरक्षण भी करना होगा और चार खम्भों पर इस देश को टिकाना होगा। तभी यह अलगाववादी और हिंसक प्रवृत्तियां समाप्त हो सकेंगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जहां कहीं हरिजनों—आदिवासियों का आरक्षण नहीं है वहां उसकी व्यवस्था की जाये। यह बिल बहुत निष्पाप है, मासूम है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ में विदा लेता हूं।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। समर्थन करने में यह कहना चाहता हूं कि राजंगम जी ने जो संविधान में संशोधन का ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद् और नगरपालिकाओं में आरक्षण के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है वह जरूरी है और अभी की स्थिति के लिए आवश्यक है। इन संस्थाओं में, पंचायतों में, नगरपालिकाओं में या इस तरह की और संस्थाओं में आखिर आरक्षण क्यों होना चाहिए। लोक सभा के चुनाव में आरक्षण है, विधान सभाओं के चुनाव में आरक्षण है, लेकिन इन संस्थाओं में आरक्षण नहीं है। होना तो चाहिए था बहुत पहले से ही। जैसे इन दो संस्थाओं में है, वैसे ही ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी आरक्षण होना चाहिए था। हम देहात में आते हैं हमें गांवों के बारे में कुछ जानकारी है। काफी दिनों से पंचायतों के चुनाव इस देश के अन्दर चल रहे हैं, लेकिन देखने को यह मिलता है कि शायद अपवाद जगहों में ही पंचायतों के चुनाव में हरिजन आदिवासी जीत पाते हैं। '52 से मैं राजनीति में हूं। कुछ क्षेत्रों के बारे में मुझे जानकारी है। वहां शायद एक क्षेत्र में एक हरिजन को ग्राम पंचायत के चुनाव में जीतता पाया। जब दूसरे चुनाव में वह फाइट करने लगा तो जीत नहीं पाया।'

तो इस से लगता है कि हरिजन या आदिवासी जो पंचायतों के क्षेत्र हैं उनमें अगर वे खड़े हो तो विजय हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन को आरक्षण न हो। अगर वे खड़े होने का प्रयास करते हैं—कहीं-कहीं साहस करते हैं तो पंचायत के चुनाव में उन्हें महज अपनी जाति विशेष के ही वोट मिल पाते हैं, दूसरों के वोट पाने में वे असमर्थ रहते हैं और इसलिये चुनावों में उन की हार हो जाती है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में हैं जिस को हम जनतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं जनतांत्रिक व्यवस्था में समाज के हर समूह का, हर हिस्से का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विधान सभा में हरिजनों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, लोक सभा में हो जाता है लेकिन ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं में नहीं होता है।

श्री धरनीधर बासुमतारी (असम): रिजर्वेशन नहीं है इस लिये नहीं होता है

श्री सूरज प्रसाद : नहीं होता है। उन के भी अपने कुछ स्वार्थ हैं, उन की

[श्री सूरज प्रसाद]

कुछ मांगें हैं जिन को उठाना चाहिए पंचायतों में और नगरपालिकाओं में उन का प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन की मांगें, उन की आवाज पंचायतों में या नगरपालिकाओं में या इन पर आधारित हमारे यहां पंचायत समिति और जिला परिषदें हैं उन में नहीं उठती हैं। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाये। सामाजिक कानून, सोशलऐक्ट बहुत तरह के बने हुए हैं। बिहार में पंचायत ऐक्ट में एक प्रावधान है कि जिस के मुताबिक सार्वजनिक जमीन को हरिजन के हाथ में बंदोबस्त होना चाहिए, आदिवासी के हाथ में बंदोबस्त होना चाहिए। तो पंचायत को उसकी सिफारिश करनी चाहिए। दूसरे राज्यों में क्या प्रावधान है मैं नहीं जानता लेकिन चूंकि पंचायत समिति में डामिनेंट है वर्चस्व है कुछ खास लोगों का जो उस गांव में डामिनेट करते हैं इस लिये उन की सिफारिश नहीं हो पाती है और वह जमीन से महरूम हो जाते हैं। कई बार चर्चा हुई हैं इस हाउस में कि हदबंदी की जो जमीन है उस को कुछ लोगों ने छिपा लिया है। उस को बताने का सवाल है। कौन बतायेगा सरकार कहती है बेनिफिशयरीज का संगठन अगर बने तो उस से कुछ लाभ हो सकता है और इस तरह की जो जमीने हैं जो छिपी हुई है उनका पता लगाया जा सकता है। अगर ग्राम पंचायतों में आरक्षण हो हरिजनों का और उस में उन के कुछ लोग रहे तो इस से सरकार को लाभ मिल सकता है। सरकार ने संविधान में दस वर्ष के लिये आरक्षण किया है लोकसभा के लिये और विधान सभा के लिये और यह उम्मीद की गयी थी कि उस समय के बाद, दस वर्ष के बाद हिन्दुस्तान का समाज इस रूप का बन जायेगा कि फिर आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिजन या आदिवासी भी खड़े होंगे और खड़े हो कर अपना स्थान प्राप्त कर लेगें।

लेकिन फिर 10 साल के बाद यह महसूस किया गया कि यह सम्भव नहीं है। जो वर्तमान हिन्दू समाज है उसके अन्दर यह सम्भव नहीं है कि वह अपना-अपना प्रतिनिधित्व हासिल कर सकें। इसलिए सरकार को मजबूर हो कर फिर दस वर्ष के बाद आरक्षण करना पड़ा। अभी जो आरक्षण है वह 1990 तक है यानी करीब चार बार सरकार को आरक्षण के लिए आना पड़ा। क्यों? सरकार को यह महसूस करना पड़ा कि वर्तमान जो हिन्दु समाज है इस समाज के अंदर हरिजन और आदिवासी हैं जो जनरल सीट से, आम सीट से अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, सीट जीत नहीं सकते इसलिए मजबूरन चार बार आरक्षण करना पड़ा। हमारी समझ यह है कि 1990 में फिर सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आरक्षण के लिए। आजादी के 35-36 वर्ष बाद भी हिन्दू समाज कास्ट पर आधारित है। यह ठीक हैं कि समाजिक जिन्दगी में कास्ट का महत्व बहुत कम हो गया है। सामाजिक जिन्दगी में खान-पान, उठना-बैठना पहले के मुकाबले कम हो गया है, गांव की, देहात की जिन्दगी में भी कम हो गया है लेकिन पूरी तरह से मिटा नहीं है। सबसे खराब बात है वह यह है कि भारतीय राजनीति के लिये कास्ट का राजनीतिकरण हो गया है। कास्ट एक पालिटिकल फैक्टर के रूप में इस्तेमाल होती है। अगर हम विश्लेषण करें हिन्दुस्तान के असेम्बलीज और पालियामेण्ट के सदस्यों का तो हम यह पाते हैं कि कुछ डामिनेन्ट कास्ट्स हैं, आमतौर पर कुछ ही हैं जिनकी संख्या अधिक है ये समाज में अधिक प्रभाव रखती हैं इसलिए वे प्रतिनिधित्व पाती हैं असेम्बली में और पालियामेंण्ट में जो माइनर में कास्टस हैं, जिनकी संख्या कम हैं वे प्रतिनिधत्व नहीं पाती हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन्हें भी इसका विश्लेषण करना चाहिए। मेरी समझ यह है कि बहुत ही कम माइनर कम्यूनिटी हैं जो हिन्दुओं में कम संख्या रखने वाली जातियां हैं। अगर विश्लेषण करें असेम्बलीज और पालियामेंट के सदस्यों का तो पायेंगे कि उनका प्रतिनिधत्व बहुत ही कम होता है। ऐसी स्थिति हमारे देश की है। कास्ट पोलिटिकलाइज्ड हो गई है और ऐसी स्थिति में अगर कोई यह अन्दाजा लगाये, यह अनुमान लगाये कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिका

के चनाव में जो श्राम सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं उसमें कोई हरिजन या आदिवासी विजयी हो जायेगा, यह बिल्कुल असम्भव है। हमारी यह समझ है कि संविधान के अंदर इस तरह का संशोधन करना चाहिए ताकि आरक्षण जो असेम्बलीज और पार्लियामेंट तक सीमति है इसको ग्रामों की पंचायतों, नगर पालिकाओं तक ले जाया जाए। जनतंत्र की सीमा बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम. ऐसा नहीं करते तो जनतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसको अधिक विस्तृत करने की जरूरत है और अधिक दूर तक ले जाने की जरूरत है ताकि समाज का हर हिस्सा इस देश में अपना प्रतिनिधित्व पा सकें।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रश्न और उठने लगा है और वह यह है कि राज्य सभा में और राज्य विधान परिषदों में भी आरक्षण होना चाहिये या नहीं। विधान परिषद में तथा राज्य सभा में आरक्षण नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि अगर आरक्षण की बात है तो जाहिर है कि इस पर शायद कांग्रेस (आई) के सेक्रेटरी श्री राम धन ने इस्तीफा दे दिया (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : कांग्रेस में हैं आदिवासी और हरिजन दूसरी पार्टीज कहां लाती है (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उत्तर प्रदेश: में विधान सभा के डिप्टी स्पीकर श्री त्रिलोक चन्द हैं तथा बिहार में श्री शिवनन्दन पासवान हैं, दोनों हरिजन हैं और लोकदल के हैं (व्यवधान)

श्री सूरज प्रसाद : यह तो आपकी उदारता हुई, यह उनको को हक नहीं हुआ है। यह आपने दे दिया है और कुछ लोग ऐसे अनुदार हैं जो दे नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आरक्षण हो जाएगा तो आपकी उदारता की उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना हक वे हासिल कर लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सभा और विधान परिषद् में भी इसी तरह का आरक्षण देने की जरूरत है उनके लिए आप भी सीटें रिजर्व करें ताकि समाज का वह हिस्सा भी सही मायने में अपना प्रतिनिधित्व यहां दे सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वह संविधान में जो इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसको स्वीकार करेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Thank you for giving me this opportunity to speak on the Private Members Bill presented by Shri N. Rajangam. In this proposed amendment, the hon. Member wants that the seats should be-reserved for the Scheduled Caries and Scheduled Tribes in a Panchayat or local board, Taluka Board, town and municipal council and metropolitan' councils.

Under Article 330 of the Coustitutiou, seats have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the delimitation for the House of the People. Under Article 332 seats have been reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies, Third limb of the democratic svstem in the municipal councils, metropolitan councils and also the village panchayats. Right from the days of our great father of the Nation, Gandhiji, three-tier system in administration has been favoured. Our present Prime Minister is also ray mirfa-particular that in all the Starts local polls have to be conducted. I am very happy to note that in Maharashtra, Gujarat and also in Andhra Pradesh seats have been reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes even in the local boards. Even in Himachal Pradesh this reservation has been allowed. Simply because this pubject has been listed in the Schedule II i.e. in the State List, it has not been uniform in all the States. Here I would like to narrae the history of the Madras State. The Government passed a Bill reserving the seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the ocal bodies. The persons aggrieved by that Darticufar Bill moved the High Court. They oblained stay at the crucial moment when the local polls had to be held. They lost in the

[Shri V. Narayanasamy]

High Court. Then they went to the Supreme Court. Now- the matter is pending before the Supreme Court lor consideration. In the State of Himahal Pradesh also, the case is pending befor; the court. In some States where reservations have been given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the local Boards, some vested interests who wanted to exploit the Scheduled Castes and downtrodden people went to court and the entire system has been penalised.

Under article 46 of the Constitution, we have given protection to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This article says that the States shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from socta. injustice in till forms of exploration. Therefore it is very clear that even the powers have been given to the State Govrnments to protect the interests of the minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is also duty of the Central Government to bring uniform law therouguot the country. In a particular State, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are enjoying the benefits of reservations, but it, other States thy are not. Therefore, it is very pertinent that the hon. Member has brought this .intendment, which is v?ry vital. For the same reason, our Government is also giving emphasis for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

[The Vide-Chairman (Shri M. P. Kaushik) in the Chair]

It is the duty of the Centr; I Government to see that there is a uniform law promulgated throughout the country. The hon. Minister may also say that it is. covered by the State List under the Seventh Schedule as tem No. 5 and, .berefore, we are not concerned with that.

Sir, I would like to submit in the hon. Minister that under article 366 when there is a need for having uniform procedure and law throughout the conutry to protect the people WHO are downtroldeo, who are to be brought to the limelight, who should be given protection, the Central Government can invoke this provision for the purpose of bringing items listed in Second Schedule either in Concurrent List or in the Union List. Ultimately there is another clause which has to be approved by the State Legislature. My submission is that most of the State Governments are willing to implement this provision for giving the benefits to the scheduled Castes and Scheduled Tribes in the case of reservation.

After the independence, we find the reservations which have been Riven by the Central Government for the parliamentary constituency, that is, House of the People and' also to the Legislative Assembly we find in most of the States, even the Scheduled Castes and Scheduled tribes could not have dreamt of that some of the persons who have been elected to the Legislative Assembly and to the Parliament are in power and some of them have become Ministers. I think there are about 20 per cent of the persons elected in the Legislative Assemblies.

Sir, now-a-days we find one community is trying to uplift the ineterest of that community alone. Though we talk of national integration, we find that interest is taken only by that community lor their community persons. That being the case, I think, the trend has to be changed. For that, I also agree with the bon. Minister that the national integration should be the primary objective. For the purpase of giving those benefits as guaranteed by our Constitution, my submission is that the Central Government should come forward and protect the interest of those persons who have been kept as a downtrodden people for years together.

Sir, as I have already submitted, according to the Consitutiocal provision, the State Government has to take steps

for having the local bodies in their respective States and it should not be closed for years together. But we are much pained to see that even after 10 te 15 years, local body elections have not been held in several States. It is a painful affair, because the local body alone will go to the village, will take care of the water supply, electricity, sanitation, hocsing facilities and all these basic amenities which are required for the people of that particuar village, particular town and also particular district. We know that the elected members of the Legislative Assembly, with due respect to them have a lot of work and they may not meet all the demands of the people. Therefore, I urge upon the Law Minister to see that local polls are held in all the States without any reservation. All the State Governments are trying to take this excuse that law and order problem will be there and that it is not conducive for them to hold election. I would urge upon the Law Minister to see that for the local bodies elections have to be held throughout the country, in all the States so that the fruits of the Government policy of implementing the 20 point programme would be enjoyed by the rural population and also the funds which goes to the rural population will be spent properly.

Then coming to reservation, I would like to submit that the Central Government, without saying that it is covered by the State list should come forward and commit that it is a very important provision. Because they are giving reservation for Jats, they are giving reservation for barbers, they are giving reservation for Parliament and they are giving reservation for the State Accemblies; the same analogy has to be applied even for the local posts which is also a vital organ in democracy. I would further urge upon the Law Minister to see that panchayat system that is Nyaya Panchayat, which was very successful in disposing off cases in the olden days and also in some States which has been brought into force, which are doing well, that system may be introduced so that the pendency in the courts may be minimised I would like to Inform the hon. Minister that for the development of the State and also for lessening the burden of the States on the Central Government, the local bodies have to be held and the reservation, which is sought for by the hon. members for the purpose of giving benefits to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons in the local posts may be considered.

With these words, I conclude Sir. Thank you.

डा. बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्षण महोदय, मैं इस सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन दो-तीन बुनियादी बातों पर माननीय कानून मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि चर्चा के दौरान जो भी प्रश्न उपस्थिति हुए हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों का जवाब अगर आज ही मिल जाए, तो शायद इस देश में जिस ढंग का वातावरण हम तैयार करना चाहते हैं, उनमें हम लोगों को सहूलियत ही होगी

पहले तो श्री राम नरेश कुशवाहा जी ने जिस चौखम्बी राज्यों की व्यवस्था की बात की, उसमें से जो मुझे—राजंगम जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें से सब से बड़ी बात मुझे यह लगी है कि हम लोगों ने तो ऊपर की दो मंजिलों की व्यवस्था कर रखी है, चौखम्बी की जो मंजिलें कहिए, तो दो खम्बे या दो मंजिलें तैयार हो गई, विधान सभा और लोक सभा की हद तक, लेकिन सही बुनियाद अगर इस देश की ग्राम व्यवस्था है, हमारी पंचायत है, हमारी जिला परिषदें हैं, तो यह बात तो सही माने में वहां से शुरू होनी चाहिए थी हक हरेक ग्राम पंचायत के जैसा कि गगरीबों के लिए या जो पीड़ित लोग हैं या शोषित या जो दबे हुए लोग हैं या जो समाज के कुछ पारंपारिक सिद्धांतों के कारण धृणित भी कहा जा सकता है, ऐसे लोग की जैसे भी कुछ व्यवस्था है, बहुत तो नहीं है कुछ व्यवस्था हम कर पायें हैं, वैसी शुरू से इन ग्राम पंचायतों के जरिए होनी चाहिए थी। थे महराष्ट्र से आता हूं जब यह विधेयक मैंने देखा, तो मुझे खुद को आश्चर्य लगा कि क्या आज

[डा० बापू कालदाते]

भी इस देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है । यह सुन कर ही मुझे आश्चर्य लगा, लेकिन उनके विधेयक से मालूम होता है, आप भी जानते हैं कि यहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

तो मेरी पहली मांग आपसे रहेगी कि क्या हम इस बात को जो संवैधानिक प्रावधान की हमारी बहस है राज्य सभा और लोक सभा के लिए, उसमें ग्रसित करें और भले ही चुनाव की आवश्यक प्रक्रिया राज्यों के हाथ में हैं, लेकिन जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण उनके लिए भी बाध्य हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हम संविधान में कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना जरूर चाहूंगा। दूसरी बात, हमारी राय और हम इस बात में स्पष्ट हैं कि अब तक इस देश में अस्पृश्यता रहेगी जब तक इस देश में आरक्षण चलेगा, भले ही कोई लोग इसको टालने का प्रयास करें। मैं आपको यह कह देता हूं कि जिस इलाके से मैं आता हूं वहां विद्यापीठ का नाम बदलने का सवाल आ गया था महाराष्ट्र में और जिस गांव में मैं रहता हूं वहां के विद्या-पीठ का नाम बाबा साहब अंबेदकर का रखें यह प्रस्ताव भी दोनों विधान सभा और विधि मंडल ने पारित किया । लेकिन सिर्फ नाम बदलने का सवाल आ गया तो हमारे इलाके में इतना बड़ा संघर्ष चला लोग मारे गए, हरिजनों के घर उजाड़े गए । हम जैसे लोग थोड़े समर्थनकारी थे, उनको वहां रहना मुश्किल कर दिया गया । क्यों किया ऐसा ? तो यह अहंकार की बात है । जब नीचे से समाज ऊपर आने का प्रयास करता है नीचे से लोग ऊपर आने का प्रयास करते हैं तो उच्च वर्णीय लोगों को यह लगता है कि ये हमारे साथ आयेंगे जिनको आज तक हमने दबाकर रखा है, और यह जरूर चलेगा। जो समाज कई सालों से, सदियों से सहस्त्र वर्षों से नीचे दबा हुआ है उनकी आकांक्षाएं तो आजादी के कारण जरूर बढ़ेंगी और वे जरूर चाहेंगे कि वे भी इस देश में समान नागरिक हैं, वे कोई निम्न दर्जे के, निम्न श्रेणी के नागरिक नहीं हैं । तो यह जो उनकी बढ़ती हुई आकांक्षा है समाज में समान बनने की, इस देश के सही प्रवाह में आने की कि हम भी एक सशक्त घटक के रूप में चले जाएं यह भावना और आकांक्षा उच्च वर्णीय लोगों के अहंकार को धक्का पहुंचाती है । इसके लिए उच्चवर्णीय लोगों का यह प्रयास चल रहा है किसी न किसी बहाने, कोई भी बहाना निकाला जाए जैसे बाबा साहब अम्बेदकर नाम देने का बहाना निकाला जाए या जैसे किसी देहात में जहां सब की गायें चराई के लिए जाती हैं वहां हमारे हरिजन भाई अगर अपनी गाय ले जाए तो उसका बहाना निकालो, कोई कुए पर पानी भरने का बहाना निकालें, कोई भी बहाना निकालें, लेकिन यह जो नीचे वर्ण के लोग जो आज समानता का प्रयास कर रहे हैं उनको दबाने का प्रयास बहुत जोर से इस देश में चला है, जिसका जिक्र अभी कुशवाहा जी ने किया । मैं कहता हूं इसमें यही बात है क्यों उनकी तरफ गए हैं, क्यों उनसे मार-पीट कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी आवाज़ दबाई जाए । इसलिए यह अति आवश्यक हो गया है कि उनकी आवाज़ कहीं न कहीं से आपके पास आ जाए सत्ता में, प्रशासन में और सारे देश की विकास प्रक्रिया में एक गरीब आदमी भी अपनी शक्ति प्रदान कर सके । यह अति आवश्यक है ऐसा मैं मानता हूं । इसके लिए मैं एक और भी अर्ज करता हूं कि जो आरक्षण है जब गुजरात में यह बात कही उन्होंने कि जब झगड़े होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर तो प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि सब लोगों के साथ आम सहमति के लिए बात होनी चाहिए । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या झगड़ा होने के बाद ही आप कहते रहे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या झगड़ा होने के बाद ही आप कहते रहे क्या हो गया उस आम सहमति का, कितनी बातें हो गईं, किन लोगों से आपने बात की इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए, यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं । समाज पर दबाव आता

रहेगा जो शोषण करने वाले हैं वे जरूर चाह रहे हैं कि इनको आगे नहीं आने देना चाहिए। ये सीटों के आरक्षण की बात करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में आरक्षण की बात में आपको कहता हूं मैंने एक दफा कहा भी है कि यह बात सही नहीं है जो दलित समाज के लोग होते हैं उनको कम मार्क्स मिलते हैं और उनको मैडिकल की सीटें कम मिलती हैं। औरंगाबाद जहां से मैं आता हूं वहां The minimum for a Scheduled Caste candidate to get admission in the medical college is 27. What merit do you want?

महाराष्ट्र में भी जो प्राइवेट मैडिकल कालेज शुरू किए इसमें कहा है तो वहां तो होगा ही जिसके पास धन है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था इस देश में चल सकती है। सारे गुण कांचन में आश्रित रहते हैं। जिनके पास धन है, जिनके पास उच्च शिक्षा या पारिवारिक संपर्क या समृद्धि है उनके लिए तो आरक्षण व्यवस्था है। इसके खिलाफ कोई नहीं बोला है और न आंदोलन हुआ है। हमने थोड़ा-बहुत महाराष्ट्र में किया तो हम लोगों को एक-दो बार जेल में भेजकर छोड़ दिया और कहा कि यह तो चलेगा। हमारे जो मैडिकल कालेज थे यह देहाती लोगों के लिए हैं देहातियों में क्या दलित नहीं आते, देहातियों में क्या अस्पृश्य लोग नहीं आते उनका कहां है? उनके आरक्षण के खिलाफ बड़ी बात हो गई। धनी लोगों का आरक्षण कई जगह है, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं कई जगह पर है। धनी लोगों का आरक्षण शिक्षा में है इसके कारण धनी लोगों का आरक्षण आपके प्रशासन में है और इसी का प्रभाव आज राजनीति में भी पड़ रहा है कि धनी लोगों का आरक्षण आपके लोक सभा में बगैर संवैधानिक प्रावधान के भी हो रहा है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके लिए अगर आम-सहमति करनी है तो आम-सहमति की बुनियाद ही यह होगी कि जब तक अस्पृश्यता रहेगी, तब तक आरक्षण चलता रहेगा और वह आरक्षण ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें सब लोगों की राय हो, सारा समाज जिसमें आये। इसमें सबको लाने के लिये यह अत्यावश्यक है कि यह आम-सहमति की प्रक्रिया के लिए शब्दों की नहीं बल्कि काम चलाने की जरूरत है।

आखिर में, मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले कहा था कि जो कुछ भी मोडनाईजेशन, कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके बारे में मिस्टर श्री निवासन नाम के एक समाजशास्त्री हैं, देश के बड़े उच्चतम समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा है —

This modernisation will only affect the behaviour pattern of the society.

जो पहले अस्पृश्य थे, समझ सकते थे कि यह अस्पृश्य है क्योंकि उसका रहन-सहन, खान-पान और बर्तन अलग-अलग थे।

Behaviour pattern may be common to the society.

हम जो कपड़ा पहनेंगे, वही दलित लोग पहनेंगे शायद। हम जिस ढंग से रहन-सहन करेंगे वह भी करेंगे शायद।

"But this communication will also lead to intensifying the identification with tha caste."

यह सबसे बुरी बात आज चल रही है मैं जानता हूं कि यह ट्रेडीशनल है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, समाजशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन हम सब समाज में काम करने वाले लोग हैं....

Identification of the caste is increasing very much and we are also to a certain extent helping it.

राजनीतिक दल भी उनकी कुछ हद तक मदद करते हैं। यह राजनीतिक दलों को वहां से कैसे निकाला जाए, यह अलग बात है। लेकिन इस प्रक्रिया को हम शुरू करें और उसको फोर्स करें कि जहां-जहां समाज में कहीं कोई चुनाव की प्रक्रिया हो, लागू हो। महाराष्ट्र में इतना ही नहीं वहां कोपरेटिव में भी रिजर्वेशन रखा गया है। ऐसी ही व्यवस्था जहां-जहां चुनाव की प्रक्रिया हो, वहां-वहां दलितों के लिए भी, पिछड़े हुए समाज

[डा० बापू कालदाते]

के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इस दृष्टि से राजंगम जी ने जो प्रस्ताव यहां लाया है, उसका स्ट्रोंगली तहेदिल से मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मंत्री महोदय, आप भी इस दिशा में सक्षम बनाने के लिए, सही मायनों में एक नया समाज बनाने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप भी क्या कदम उठाएंगे, यह जानने के लिए मैं बड़ा आतुर हूं। धन्यवाद।

SHRI H. R. BHARDWAJ: I would seek the permission of the chair and the mover of the resolution to give part of my reply in Hindi because most of the speakers today spoke in Hindi, and then I would speak in English for the benefit of the honourable mover so that he would not have any problem.

श्रीमान् जी, जितने भी आदरणीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोले हैं, यदि मैं आपको उन सबके नाम पढ़कर सुनाऊं तो एक बात स्पष्ट है कि जितनी भी जाति करीब-करीब हमारे देश में हैं, उन सभी जातियों से हमारे माननीय सदस्य बोले हैं और सबकी एक ही भावना है कि इस देश में शेड्यूल्ड-कास्टस और शेड्यूल्ड-ट्राइब्ज और दूसरे पिछड़े वर्ग के जितने हमारे समाज में लोग रहते हैं, उनके लिए देश की राजनीति में, देश के आर्थिक उत्थान में और देश की दूसरी एक्टिविटीज में उनका पूरा भाग होना चाहिए। इस बात को किसने मना किया है? आप हमारा कंस्टीट्यूशन देखिये। स्वयं अम्बेडकर जी की यह रचना है और हम सब इस बात को मानते हैं कि उनसे बड़ा विद्वान इस क्षेत्र में अभी भारतवर्ष में होने वाला नहीं है और न हुआ है। हम सब उनको मानते हैं कि वे ज्ञाता थे और यदि इसका अध्ययन किया जाय तो आप देखेंगे, उन्होंने लोक सभा में और विधान सभाओं में आरक्षण दिया। यह कंस्टीट्यूशन के लिहाज से प्रिफरेन्सल ट्रीटमेण्ट दूसरे देशों में माना जाता है। लेकिन हम जो भारतवासी हैं, हम इस बात पर गौरव अनुभव करते हैं, यह प्रिफरेंसल ट्रीटमेन्ट नहीं है, यह उस भाग्य की विडंबना है, जिसने सैकड़ों साल भारतवर्ष में इस पिछड़े वर्ग को पिछड़ा रखा है। और यह हमारे समाज की देन है। इसके लिए कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। मैं इस देश के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अनुभव किया और जब भारत आजाद हुआ तो इस बात का सबसे पहले प्रयत्न किया कि जहां अन्याय हुआ है उसे दूर किया जाय और उसे रिजर्वेशन के जरिए दूर किया जाय। देश के नेताओं ने जो दिया उसका रिजल्ट मैं बताऊं। आज भारतवर्ष में 522 लोक सभा की सीटों में शेड्यूल्ड कास्ट 79 और शेड्यूल्ड ट्राइब 40 हैं, कुल मिलाकर 119 सदस्य हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि ये इतने लोग लोक सभा में चुनकर आते हैं। हमारे नेताओं ने जो वादा किया था। पिछड़े वर्ग से उसको पूरा किया है, उनको पूरा हिस्सा दिया है। 119 हैं, ज्यादा आने चाहिए। मैं समझता हूं कि सब दलों को कुर्बानी देनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि सब दलों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय। मैं खुद राज्य सभा में हूं, हम चार थे, उनमें एक शेड्यूल्ड कास्ट का भी था, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी था। यह राज्य सभा के सदस्यों की बात है। सब दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो बापू का सपना था, जवाहरलाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद और अम्बेडकर साहब का सपना था वह साकार होगा। हरिजनों के हक में रिजर्वेशन हो, मैं जाती तौर पर इसके हक में हूं। अनटचेबिलिटी हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। जिसके मन में जरा भी दया है और धर्म का निवास है वह इस बात को नहीं मानेगा कि इनसान और इनसान में भेदभाव किया जाय। मैं पुराने दरया-गंज में हरिजन बस्ती में 15 साल रहा हूं। मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन हरिजनों में रिश्तेदारी है। मैं समझता हूं कि हम अपने कलंक को अब भी मिटा सकें तो बहुत भाग्यशाली होंगे।

आज यह देश जागत है। स्टेट

असेम्बलीज में 3997 में से शेड्यूल्ड कास्ट 557 और शेड्यूल्ड ट्राइब के 315 सदस्य, 872 के करीब होते हैं। लोक सभा और विधान सभाओं में जो रिजर्वेशन होना चाहिए वह दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि देश में लोक सभा-विधान सभाएं केपिटल में काम करती हैं और जनसधारण की बातों को ज्यादा तय नहीं कर पातीं जैसे कि ग्राम पंचायत या जिला परिषद् कर सकती हैं। लेकिन, जैसाकि आप जानते हैं, पुराने महारथी लोग हैं, इस देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने दिया वेस्टेड इन्टरेस्ट ने। मुझे याद है जब हमारा कांस्टीट्यूशन बना तो कुछ साल इस पर काम नहीं हुआ, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स की बात आई कि स्टेट में जायगा। वाद-विवाद होता रहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। फिर यह हुआ कि एन्ट्री 5 में है लिस्ट 2 में, स्टेट करेगी। मैंने पूरा अध्ययन किया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा इस बात में बराबर दिलचस्पी रखी जिसके आधार पर थ्री-टायर सिस्टम बनाया गया—आन्ध्र, राजस्थान पहले राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज का गठन किया। महाराष्ट्र और गुजरात में टू-टायर सिस्टम आया। उसके बाद पंचायत सिस्टम का गठन हुआ

लेकिन जैसा अभी कहा गया वहां पर भी लैंड लार्डस, मनीलेंडर्स और माफिया घुस गये और आज मैं देखता हूं कि वह सिस्टम करीब करीब क्रिपिल्ड हो गया है। तो धारणा तो यह थी कि गांव का हरिजन और गरीब उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वह भी अपनी गर्दन ऊंची कर के बराबर में बैठेगा ऊंची कास्ट के साथ। मैं समझता हूं कि सारे कास्ट वाले बोल चुके हैं, लेकिन अगर हम दिल से इस बात को कबूल करते हैं कि उन को बराबरी में आना चाहिए तो उनको घर में हम को बराबर में बैठाना चाहिए। यह टीस हमारे दिल में हो तो यह चीज जागृत होनी चाहिए। मैं अपने आप को आप के साथ एसोशियेट करता हूं और मैं माननीय सदस्य को प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह सवाल उठाया लेकिन सवाल यह है कि हम को समाज बदलना है। कौन समाज को बदल सकता है। जब तक उसको सही तौर पर आदमी नहीं बदलता समाज को न गवर्नमेंट बदल सकती है और न कानून ही बदल सकता है। भारत के लोग ही यहां के समाज को बदल सकते हैं और वह तभी हो सकता है कि जब समाज के अन्दर इसके लिये आंदोलन हो। हमारे नेताओं ने उनको रिजर्वेशन दिया। लेकिन आज रिजर्वेशन किन के लिये लोग मांग रहे हैं। आज कर्नाटक में लिंगायत्स के लिये रिजर्वेशन मांगा जा रहा है। आज ऊंची कास्ट वाले रिजर्वेशन मांग रहे हैं देश में। **(व्यवधान)** आप के काम की बात कर रहा हूं और इसी लिये मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि कुशवाहा हरिजन भी होते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपको डाउट क्यों हो रहा है।

श्री एच॰आर॰ भारद्वाज : नहीं, ऐसा नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम॰पी॰ कौशिक) : कुशवाहा राजपूत भी होते हैं।

श्री एच. आर. भारद्वाज : राजपूत भी होते हैं, जाट भी होते हैं, और हरिजन भी होते हैं। मैंने गांव में देखा है। पहले उनको जुबान खोलने का अधिकार नहीं था। यह तो हमारे महान नेता थे जिन्होंने उनको जुबान दी। और मैंने खुद देखा है उनको जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाता था। उन की महिलाओं को कोड़े से पीटा जाता था। लेकिन मुझे फक्र है इस बात की कि वह स्थिति आज देश में नहीं रही है। आज वह जुबान खोल रहे हैं। पार्लियामेंट में उनसे 120 सदस्य लोक सभा में हैं। यहां भी होंगे। आज वे बोल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। तो प्रजातंत्र ने उनको जुबान तो दी अब आर्थिक सवाल है उसको देखना है। अगर सारे दल मिल जायें। और सारे दल मिल कर और सारी पोलिटिकल पार्टीज मिल कर सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि जैसे पहले इस बात पर एक मत

[श्री हंसराज भारद्वाज]

हो कर हम बोलते रहे हैं और सोचते रहे हैं, इसका भी हल निकल सकता है। हमारे प्रधान मंत्री ने जो सवाल किया है वह यही है और उन्होंने कहा है कि नेशनल मसलों पर हम को एक मत होना चाहिए। यह देश तो सब का है।

It is the responsibility of the whole nation. Everybody is equally responsible. Opposition does not mean that it should always oppose. You have to propose also certain things and that is where your responsibilty lies. This is not the way that you represent one constituency and so, you will be working for that constituency. We must do work for the entire country once we are in Parliament. This is the spirit which you should show on national issues and on national issues, in many areas, we all have voted together. So,

आज के मसले पर मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हरिजनों का मसला हमारे दोस्त ने उठाया और कहा गया कि जहां तक पार्लियामेंट की बात है, लोक सभा और विधान सभाओं में रिजर्वेशन है। अब सवाल है कि लोकल बाडीज में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हम ने कारपोरेशन से गिनती मंगायी है और मैंने देखा है कि कौंसिलर्स भारत में काफी तादाद में हैं जो हरिजन हैं। वह अहमदाबाद में 13, बड़ौदा में 4, बेलगाम में 3, बम्बई में 5, कालीकट में 2, कोचीन में 2, दिल्ली में 16 और मद्रास में 15 हैं और वे इस तरह करीब-करीब सारे ही कारपोरेशन्स में चुन कर आये हैं। कम आये है। ज्यादा आने चाहिए। किस तरह आने चाहिए यह पोलिटिकल पार्टीज को तय करना है। अगर उनकी विल होगी तो आयेंगे। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हर जगह हरिजन लायें जायें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लाये जायें। कम से कम उनकी संख्या जितनी है उसके आधार पर ही लाये जायें तो कुछ जस्टिफिकेशन हो सकता है। अब सवाल है कि रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो। मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। हरियाणा में रिजर्वेशन का प्रोविजन है

Four persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if no such person is elected.

तो इन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि अगर वह जीत कर नहीं आयें तो कम से कम चार आदमी उस पंचायत समिति में जरूर होने चाहिए। उसके बाद केरल में भी नामिनेशन का, एक सीट का प्रावधान अपने यहां पंचायत में किया है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। उड़ीसा में भी पापुलेशन के लिहाज से उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। पंजाब में भी चार आदमियों का प्रावधान है अगर कोई जीत कर नहीं आता। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। सब जगह करीब-करीब है। यू पी में भी है। मुझे सारी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जब पहली बार यह पेश हुआ था तब मैंने इस जानकारी को लेने की कोशिश की थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए इसलिए मैंने कोशिश की थी। लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि यह जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाडी है, पंचायतें हैं, जिला-परिषदे हैं ये करीब-करीब ठप्प हो चुकी हैं इनको झकझोरना है। आज की जो बहस हुई काफी हम को मदद मिलेगी कि हम इस को झकझोरें। अभी बापू कालदाते जी बोल रहे थे। उन्होंने बताया था कि 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। उन्होंने इस तमाम ढांचे को देखा लेकिन उसके बाद यह फिर ठप्प हो गया। उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई। अब यह रेजोलूशन हमारे सामने आया तो मैंने इसका बहुत अध्ययन किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी हमारे पास कांस्टीट्यूशन के तहत ताकत है और जितनी हमारे पास लेजिसलेटिव कम्पीटेंसी है मिनिस्टर की हैसियत से, मैं इसको करूंगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि चौखम्भा राज जिसको आप कहते हैं

That is percolating of democracy **down** to the grassroots,

जिसका कमिटमेंट कंस्टीट्यूशन में हैं। उसको किया जाए। आप देखिये कि अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल 46 में इसको रखा, एन्टरी फाइव लिस्ट टु में हैं कि सब राज्यों में इसका बराबर कानून बने। जहां हमारा राज है वहां हम देखेंगे और जहां आपका राज है उसको आप देखें। अगर कहीं कमी है तो प्रधान मंत्री जी ने जो आवाहन किया है नेशनल कासैन्सस का वह हम डवलप करेंगे। मैं यह दुबारा कहना चहता हूं कि अगर कोई डोमिनेन्ट कम्युनिटी जबर्दस्ती आरक्षण लेना चाहती है तो इसकी चर्चा आज के दिन नहीं होनी चाहिए। इसकी चर्चा आप दूसरा रेजोलूशन लाकर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट दो-तीन निर्णय दिये हैं रिजर्वेशन पर। लेकिन अगर कोई पालिटिकली डोमिनेंट कम्यूनिटी रिजर्वेशन लेगी तो यह हरिजन के हित की बात नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां जनता पार्टी की सरकार है वहां पूरी कोशिश करें और अगर यह वह कहते हैं कि उनके यहां आईडियल सिचुएशन है तो यह कहना ठीक नहीं है। वह यह कहते हैं कि वहां पर सिच्युएशन हरिजनों के हक में है तो यह कहना ठीक नहीं है। आईडियल सिचुएशन कहीं पर भी नहीं है चाहे कितना भी क्रांतिकारी चीफ मिनिस्टर बैठा हो। उसको अपनी गद्दी की फिक्र होती है। अगर कोई हरिजनों के लिए कुछ करना चाहता है और हमारी मदद चाहता है तो मैं उनके साथ रहूंगा।

जैसा आपने कहा कि नौकरियों में आरक्षण हो, नौकरियों में जो अम्बेडकर जी ने आरक्षण देने की बात कही थी वह दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि शेड्यूल कास्ट्स का भाई आई पी एस बन जाता है तो अपनी बिरादरी से वह कट जाता है। मैंने अपने मोहल्ले में देखा है कि वेल टु डु हरिजन आई पी एस, आई ए एस हो गया है। वह खुद इस बात का संकोच करता है कि वह अपनी बिरादरी में बैठे। हम तो तैयार हैं क्योंकि हम लोगों का बचपन हरिजनों और ब्राह्मणों के बीच में गुजरा। उस वक्त हरिजनों और ब्राह्मणों में कोई फर्क नहीं माना जाता

था। प्रोडेक्शन के काम में हम दोनों मिल कर काम करते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन में हम सब मिल कर काम करते थे। कोई खेत जोतता था, कोई बीज डालता था, कोई पानी देता था। कोई पशु पालता था। मैंने उनकी लाइफ देखी है। मैं वहां पला हूं हरिजन को हम और हरिजन हमारे को बराबर का कंटरीब्यूश्न देते हैं लेकिन आज वह स्थिति नहीं है।

उस चीज को भी देखना है कि एक बार अगर कोई फेमली उस स्तर से ऊंची उठ जाती है और दूसरी फेमली को फायदा हो सकता है तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिये। पंचायतों और जिला परिषदों और ब्लाक समितियों में हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए पार्टीसिपेशन ज्यादा होना चाहिये क्योंकि उनके मसले तो वहीं पर ज्यादा है। उनको जमीन मिल जाए मकान मिल जाएं बहुत काम हुआ है यह बात नहीं है कि नहीं हुआ है लेकिन समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि एक या दो प्रयत्न से समस्याएं हल नहीं होंगी हमें खुद इस पंचायती राज को कायम करने में बड़ी भारी कठिनाई हुई है। कोई नहीं कह सकता है कि जो आइडियल महात्मा गांधी जी का सपना था और जयप्रकाश नारायण ने जिस चीज को कहा था वह आज पूरा हो गया है। अभी काफी गुंजाइश है काम करने के लिए। आपकी पार्टी ने 1980 तक रिजर्वेशन का एक्सटेंशन नहीं किया तो जब इन्दिरा जी फिर सत्ता में आई तो उन्होंने 1980 में पहला काम यह किया कि 10 साल तक और रिजर्वेशन बढ़ा दिया। इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है और न कोई दल पीछे हट सकता है। यह सवाल ही नहीं है यह हमारा कांस्टीट्यूशनल कमिटमेंट है।

It is to remove the disparities in the society. This is everybody's Constitution. The Constitution belongs to the nation. We are all committed to remove social disparities, economic disparities and political disparities also. But we must go into the genesis of the whole problem. Ow society is a very complex society. We cannot blame it because it is a socinty

[Shri H. K. Bhardwaj)

coming over the years and ages. But we must show that each one of us is concerned about that section of the society which is for ages under-privileged. How do we do it? Let us think over this problem. So far as the Panchayats are concerned, I would submit that they should be strengthened, they should be revived. On our part, we are going to make a detailed study of where the real problem is. So far as the reservation is concerned, if you want more reservations, I don't think the Constitutional Amendment is the atnswer because you cannot tinker with the Constitution when there is a remedy elsewhere. There is a complete demarcation of the legislative spehres. You have Entry V in List H. You can legislate on this problem to any extent. Even if some States want to give 50 per cent reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, mind you, I repeat, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there is a Constitutional protection, and preferential treatment is given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so far as reservation is concerned. Therefore, we must create an atmosphere and a climate in the country where the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes find some place in this. And that can only be done when the institutions exist. So, I am going to start my work, an analysis, as to where the institutions are functioning and where the institutions are not functioning. But then I would need the co-operation of all the State Chief Ministers. I can assure this hon. House that I am going to write to them on this issue because although the Elections Departments in the States belong to the States, since the Parliament and Legislative Assembly elections are with us, I am going to discuss it with the Election Commission and see how far we can coordinate firstly to see that where the local selfgovernment institutions |or bodies exist, they function properly, and if they do not function properly, then what the methods are to make them function properly. The melody is a very old. I have said that in 1952, in 1964 and in 1977, committees after committees have been diseussing all these issues of budgeting, finances of the local bodies, but no solution has so far been found. But primarily we are concerned with this question of giving dignity to the Harijan and the Girijans. That dignity can be assured if they can sit on the same table alongwith each other. And that minimum should be provided by an amendment of all the existing statutes. There are various statutes. I find practically in all the States statutes on panchayats, zilla Parishad and other bodies. And now there is a review also whether there should be a three-tier system or a two-tier system. But whatever it may be, that system must contain special provisions so that the democracy travels to the grass-roots.

Then, Sir, I don't share the idea that nothing has happened in the country. The country has seen a silent revolution, a silent revolution in the sense that what we were when we were not independent and what we are after independence. There is a difference which nobody can perceive unless he has the heart to appreciate the realities of life, and 4 P-M. whenever there is resistance, particularly he mentioned Bihar, I appreciated that Bihar is one place where a lot of work requires to be done and that is where we all must put our heads together. A lot of things have happened in this part of the country, Rajasthan, Madhya Pradesh, parts of U. P., this part in Delhi and other parts and your Maharashtra, I am proud to say that it is a unique society there. You do not find difficulty. I have found very great difficulty in getting recommendation of many Harijan as a High Court judge or a superior officer. But every now and then I am requesting them to find talent from this class of society and if there is a prejudice you must remove that and even if you have to tilt a little without compromising the quality in the appointment, please do that. I am not really shirking that responsibility. I have written twice, thrice and I ani trying to break those shackles and fetters which there are in somebody's mind that should be removed. But the question is that social prejudice they carry for ages anl ages may be required to remove that. It is there right from Manu's time. This discrimination has travelled here but the so-

ciety changed in Akbar's time. Now it is a democratic society and we have the powers. This Parliament has the power to take the country where you like and such resolutions do help us in carrying the coun-to a right direction.

That is where I must thank the Mover of the Resolution. His own State has given 18 per cent of Reservation in Tamil Nadu. That may be something unique. If I am not correct, the percentage may be a little more.

SHRI N. RAJANGAM (Tamil Nadu): In what way are they given 18 per cent in Tamil Nadu? No, no. In Tamil Nadu reservations are given according to the Constitution in accordance with the popula tion of the Scheduled Castes and Schedul ed Tribes, in accordance with their popula tion. That too in legislatures only and not in local bodies. That is why I bring this Bill today.

SHRI H. R. BHARDWAJ: 1 will tell)0u, under section 36AA(1) of the Tamil Nadu Panchayat Act, 1958, which provides 18 per cent total number of offices of chairman of panchayat union councils in each district will be reserved for the members of the Scheduled Castes and Tribes. This is an Act which I have seen and it may be that there may be some modification but I was only appreciating the work done that if 18 per cent reservation is given in the unions of district panchayats, it is quite a good work and this is stated in practically all the provisions which I could lay my hands on. But I think your suggestion is very valid, if some more is to be done that be done. But it is not that we must amend the Constitution. The Constitution has an answer before you. It gives competence to all the State Legislatures to frame any law with regard to the local self governments for all the States on all matters even regarding reservation. So, we must create a climate, hold a dialogue and research, a type of analysis to see that how you can give more representation. You can talk to the Chief Ministers. You cannot dictate from here and say do this and do that. It may not be acceptable. Now, you hare said yuorself that there are Governments of various political parties everywhere. Let them respond to your resolution.

I must express my thanks to all the lion-Members except that wherever I sometimes feel very unhappy about one thing before us. A pointed question that is reservation on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in local self government institutions, this was the resolution which was before us. Now the guns have been pointed in different directions. I need not reply to them because that is the political part of our speeches. *(Interruptions).* That is why I say adulteration has not been done away with. Adulteration of thought is still there. Therefore, if we look objectively at it, at the relevant part of it, we have all agreed on this and We have all promised', to do our part in this direction whether in Delhi or in U.P. or in Madras. I personally feel that after having done a research on this that a lot of work is needed to strengthen these institutions, and to have a national dialogue—I repeat, national dialogue—because practically all major political parties are in power in the States and that is why you need a national dialogue. When Congress was in power, these Acts were made. Therefore, some sort of a dialogue is necessary, to talk to different political parties from different levels. I am aware of the patriotic zeal of all the political parties. Success will notice far too long. Therefore, while appreciating and thanking the mover and all other hon. Members who have contributed tremendously with their thoughts, I have noted down thos ideas, and particularly whatever action is needed by my Ministry and by the Central Government, we shall certainly move; but I want to have a promise from all the hon. Members that wherever their parties are in power, they will persuade them to] speed up measures for these reservations. Those who are in power, should take up this responsibility In their States because this is a Constitutional division of subjects, and I need your cooperation and it can assure you that we are sincere on this cause because it is a national demand, a commitment of our forefathers to these backward communities, and so long as these disparities, the backwardness, will survive, our efforts should not stop if we are sincere to the Constitution and to our forefathers and

[Shri H. R. Bhardwaj]

to the future generation of his country. I assure you that Indian National Congress — which I represent-has always stood with these weaker sections. Wherever there is atrocity on Harijans, we have moved out and protected them and we will sincerely de that again. I request the hon. Member te withdraw his Bill and we will carry out the suggestions.

SHRI N. RAJANGAM: My only inten-to bring this Bill was against social discrimination, against economic exploitation by communal institutions, ani particularly in the local administration of the local body institutions in the villages, against the social bigot, social Injustice and tyranny. In this connection, I hope that a remedy will be found out and I get a hope from the speech of the hon. Minister for Law.

What I want from the hon. Minister is that there should be some circular or a Government order issued to protect the in-tesrests of Harijans in the panchayats and panchayati-raj institutions in future, and with that hope I withdraw my Bill

I am thankful to the hon. Members of the House who have given great support to my Bill and I am also thankful to the hon. Law Minister for his explanation in detail. I beg leave to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Bill?

(No hon. Member dissented) The Bill was, by leave, withdrawn-

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1985 (TO AMEND ARTICLE.324)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) पीठासीन हुए]

हमारा देश गुलाम था, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश ने आजादी की लड़ाई को लड़ा और अंहिसा के रास्ते चल कर 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी प्राप्त की। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से छोटे व्यक्ति को इस देश के शासन में भागीदारी का अधिकार होगा, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी चुनाव हुआ करते थे, लेकिन जब वह चुनाव होते थे तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। लेकिन जब हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें उस बात का भी प्रावधान किया गया कि इस देश में 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा की की आयु के जितने भी लोग है उनको वोट देने का अधिकार होगा। इस देश के राष्ट्रपति का भी एक वोट होगा और इस देश के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर वर्ग के व्यक्ति का भी एक ही वोट होगा। इसलिए इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई और हमारे संविधान में भी कहा गया कि हमारा देश लोकतांत्रिक प्रणाली पर गणतंत्र के आधार पर चलाया जाएगा और जब संविधान बन रहा था उस समय किस प्रकार से हमारे देश में लोक सभा के चुनाव होंगे, किस प्रकार से विधान सभाओं के चुनाव होंगे और किन लोगों के हाथ में इन चुनावों को कराने का प्रबन्ध होगा, इन सारी बातों की व्याख्या की गई। इसके बाद मान्यवर, सन् 1952 से लेकर आज तक आठ बार लोक सभा के चुनाव हो चुके है। 1952 में हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, फिर 1967 में हुए, 1971 में हुए, 1977 में हुए, 1980 में हुए और अंतिम बार चुनाव 1984 में हुए। इस प्रकार हमारा देश भारतवर्ष इस संसार का सब से सफल और सब से वृहत लोकतांत्रिक राज्य है और हमारे यहां जो व्यवस्था है जिसके लिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट आफ पीपुल फार दी पीपुल एंड बाय दी पीपुल। इसलिए जब संविधान बनाया गया तो उसमें इस बात का भी प्रावधान